भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 329

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई योजनाएं

329. श्री मनोज तिवारीः
डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं क्रियान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है और ये योजनाएं किस सीमा तक विदेशी निवेश आकर्षित करती हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी चौदह क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक क्षेत्र का प्रदर्शन और उपलब्धि क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत क्षेत्रवार, योजनावार और परियोजनावार संवितरित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विज़न को ध्यान में रखते हुए, देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल्स औषधियां, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और

तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

(ख): पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों के दौरान उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है। कई पीएलआई क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ने के प्रमाण भी हैं। पीएलआई स्कीम के तहत देश में कई विदेशी कंपनियों ने स्थापना या अपने परिचालन का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए, वैश्विक स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने अपने आपूर्तिकर्ताओं अर्थात फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को, भारत में स्थानांतरित कर दिया है।

(ग) से (ङ): सभी 14 क्षेत्रों हेतु पीएलआई स्कीमों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित अनुमोदन के बाद दिशानिर्देशों के साथ अधिसूचित किया गया है। इन स्कीमों की संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

मार्च 2025 तक, 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें इस स्कीम के पहले तीन वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान थोक ड्रग्स के निवल आयातक (-1930 करोड़) से अब निवल निर्यातक (2280 करोड़) बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर

एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

दिनांक 24.06.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत, 12 क्षेत्रों, नामत: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात, वस्त्र उत्पाद और ऑटोमोबाइल तथा ऑटो घटकों के लिए 21,534 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

पारदर्शी तंत्र के माध्यम से एक समयावधि के दौरान अलग-अलग मामलों को अनुमोदित किया गया है। विनिर्माण की प्रकृति के आधार पर परियोजनाओं को 2 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि में कार्यान्वित किया जाता है और दावे आमतौर पर उत्पादन के पहले एक वर्ष के बाद किए जाते हैं।

*****